भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 382

06 फरवरी, 2023 को उत्तर के लिए

शहरी अपशिष्ट जल प्रबंधन

382. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नीति आयोग ने यह उल्लेख किया है कि 72 प्रतिशत शहरी अपशिष्ट जल का शोधन नहीं होता है, यदि हाँ, तो सरकार द्वारा विगत दो वर्षों में शोधन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य में कितने मलजल शोधन संयंत्रों का निर्माण किया गया है. तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार अपशिष्ट जल के उपचार के लिए वर्मीफिल्ट्रेशन, जिसे एक प्रभावी और सस्ती प्रक्रिया माना जाता है, का प्रयोग करने पर विचार कर रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क): नीति आयोग ने अगस्त 2022 में "भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य" नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें यह आकलन किया गया है कि 72% अपशिष्ट जल अशोधित रह जाता है और शायद इसे नदियों/झीलों/भूजल में छोड़ दिया जाता है।

भारत सरकार ने 01 अक्टूबर 2021 को 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 आरंभ किया है। अमृत 2.0 को सभी सांविधिक कस्बों में चालू स्थिति के नलों के माध्यम से सभी आवासों में जल आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने और 500 अमृत शहरों में सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन की कवरेज के लिए डिज़ाइन किया गया है। शहरों को 'जल सुरक्षित' बनाना और इस प्रकार नागरिकों के जीवन को सरल बनाना मिशन का प्रमुख उद्देश्य है।

अमृत 2.0 की परिकल्पना शोधित सीवेज के पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग, जलाशयों के नवीकरण और जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक शहर के लिए शहर जल संतुलन योजना के विकास के माध्यम से पानी की सर्कुलर इकॉनोमी को बढ़ावा देने के लिए की गई है।

500 अमृत शहरों के लिए अमृत 2.0 के सीवरेज घटक के तहत, अंत तक पुन: उपयोग योजना के साथ अंत तक शोधन और पुन: उपयोग सहित तृतीयक शोधन (सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड को प्राथमिकता देते हुए); सीवरेज प्रणालियों का प्रावधान/संवर्धन और पुनर्स्थापन; पुनर्चक्रण हेतु प्रयुक्त जल को नलों तक पहुंचाना; पुनर्चक्रित प्रयुक्त जल के अधिक से अधिक उपयोगकर्ताओं को चिन्हित करना और संभावित उपयोगकर्ताओं (जैसे कपड़ा/चमड़ा/कागज/बिजली संयंत्र/रेलवे आदि जैसे औद्योगिक समूह) को प्रयुक्त जल की बिक्री सुलभ करवाना स्वीकृत घटक हैं।

इसके अतिरिक्त, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 के सुधार एजेंडे के तहत, जल संरक्षण पर सुधार में राज्य स्तर पर शहर की पानी की कुल मांग का 20% और उद्योग की पानी की कुल मांग का 40% पूरा करने के लिए शोधित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण की परिकल्पना की गई है।

(ख): आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रतिदिन 116.35 मीलियन लीटर क्षमता वाले 6 सीवेज शोधन संयत्र पूर्ण किए जा चुके हैं और जन स्वास्थय एवं नगरीय अभियांत्रिकी विभाग, आंध्र प्रदेश द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान आरंभ किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश नगर और अवसंरचना विकास निगम (एपीटीआईडीसीओ) द्वारा कुल 117.75 एमएलडी क्षमता वाले प्रस्तावित 130 एसटीपी की तुलना में 10.85 एमएलडी क्षमता वाले छः (06) एसटीपी पूर्ण किए गए हैं और शेष 124 एसटीपी का कार्य प्रगति पर है। पूर्ण किए गए एसटीपी का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग): जी हां। आंध्र प्रदेश सरकार अपजल को शोधित करने हेतु वर्मीफिल्ट्रेशन के उपयोग का पता लगा रही है। आंध्र प्रदेश नगर और अवसंरचना विकास निगम (एपीटीआईडीसीओ) में 40 स्थानों पर एसटीपी के वर्मीफिल्ट्रेशन की योजना बनाई गई है।

"शहरी अपशिष्ट जल प्रबंधन" के संबंध में 06 फरवरी, 2023 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 382 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

जन स्वास्थ्य और नगरीय अभियांत्रिकी विभाग, आंध्र प्रदेश द्वारा निर्मित आंध्र प्रदेश राज्य में सीवेज शोधन संयत्र (एसटीपी) का ब्यौरा

क्र. सं.	यूएलबी का नाम	एसटीपी की सं.	एमएलडी में क्षमता
1	ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम	1	54.00
2	पुलिवेंदुला	1	10.00
3	नरसारावपेट	1	15.55
4	कोंडापल्ली	1	2.00
5	ओंगोल	1	15.00
6	येम्मिगनूर	1	19.80
कुल		**6**	**116.35**

आंध्र प्रदेश नगर और अवसंरचना विकास निगम (एपीटीआईडीसीओ) द्वारा पूर्ण किए गए शोधन संयत्र

क्र. सं.	यूएलबी का नाम	स्थान का नाम	एमएलडी में क्षमता
1	तेनाली	चिनारावुरू	0.6
2	पोन्नुरू	निदुबरोलू	1.25
3	चिलाकलूरीपेट	पुरूषोथपट्टनम	2.8
4	कावली	मद्दुरूपाडु	1.5
5	आत्माकुर	नेल्लोरपालेम	1
6	गुडुर	गांधीनगर	3.7
कुल			**10.85**

******